तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 319/2022 अनवान आत्माराम बनाम सांगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

आदेश

20/12/22

पत्रावली आज वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 04 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 151 सीपीसी के तहत आज पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 21.11.2022 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की सुनवाई किये बिना एकपक्षीय श्रीमान् के न्यायालय से अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 164/128, 166/128 मौजा चक धोलका तथा खसरा संख्या 83 व 84 मौजा जालीपा बाडमेर ग्रामीण की भूमि पर स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सभी खसरों को छोडकर खसरा संख्या 164/128 मौजा चल धोलका के सम्बन्ध में स्थगन आदेश श्रीमान् के न्यायालय से प्राप्त किया है। उक्त स्थगन आदेश की आड़ में प्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से षड़यंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के हिस्से में निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.11.2022 को संशोधित करते हुए वादग्रस्त खसरा संख्या 164/128, 166/128 मौजा चक धोलका तथा खसरा संख्या 83 व 84 मौजा जालीपा बाडमेर ग्रामीण की भूमि के मौके की यथा स्थति बनाये रखने के लिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी कराने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 02 से 04 द्वारा जवाब का प्रत्युतर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे तथा यदि प्रार्थीगण के हिस्से पर पक्का निर्माण कार्य हो जाता तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती। स्थगन की मांग खसरा संख्या 164/128 के खसरे के सम्बन्ध में चाहा गया [illegible] खसरा संख्या 166/128 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आवासीय मकान कई वर्षो से बने हुए है। खसरा संख्या 166/128 में सभी भाई अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर रहवासी ढाणिया बना रखी है। उक्त स्थगन आदेश न्यायोचित होने से श्रीमान् द्वारा दिनांक 21.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:20:50 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 319/2022 अनवान आत्माराम बनाम सांगाराम

को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर एकपक्षीय श्रीमान् के न्यायालय से अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त किया, जो न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त उभय पक्षों को निर्माण को लेकर विवाद है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। लिहाजा उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षों के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चक धोलका पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 164/128 रकबा 10.1414 हैक्टयर, खसरा संख्या 166/128 रकबा 0.2914 हैक्टयर तथा मौजा चक धोलका पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 83 रकबा 0.0486 हैक्टयर, खसरा संख्या 84 रकबा 1.5702 हैक्टयर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested